# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 873/2016

1. राममुर्ति पत्नी श्री सुरजाराम पुत्री श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 11 रावला मण्डी जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीया

–:: बनाम ::–

1. बलवन्तराम पुत्र श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सरोज पत्नी श्री बलवन्तराम जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. सुनील } पुत्रगण श्री बलवन्तराम जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एल.एन.पी.
4. महावीर } तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. हंसराज } पुत्रगण श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एल.एन.पी.
6. भूपराम } तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. कृष्णादेवी पत्नी श्री जयमलराम पुत्री श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 33 एम. एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. ईमानती देवी पत्नी श्री औमप्रकाश पुत्री श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी बाजुवाला तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
9. वेद प्रकाश पुत्र श्री रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी बाजुवाला तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
10. कलावती पत्नी श्री हंसराज पुत्री श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी गुमजाल तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)
11. सरला पत्नी श्री अशोक कुमार पुत्री श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी दुतारावाली तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 551/2017

1. सुनील कुमार पुत्र श्री बलवन्तराम जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. मन्जू पुत्री श्री बलवन्तराम जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. बलवन्तराम पुत्र श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. महावीर पुत्र श्री बलवन्तराम जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

लगातार ..... 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

3. सरोज पत्नी श्री बलवन्तराम जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. राममुर्ति पत्नी श्री सुरजाराम पुत्री श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 11 रावला मण्डी जिला श्रीगंगानगर।
5. हंसराज पुत्र श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. भूपराम श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. कृष्णादेवी पत्नी श्री जयमलराम पुत्री श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 33 एम. एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. ईमानती देवी पत्नी श्री औमप्रकाश पुत्री श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी बाजुवाला तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
9. वेद प्रकाश पुत्र श्री रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी बाजुवाला तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
10. कलावती पत्नी श्री हंसराज पुत्री श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी गुमजाल तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)
11. सरला पत्नी श्री अशोक कुमार पुत्री श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी दुतारावाली तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

— — **अप्रार्थीगण**

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बाबत रिसीवरी

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 35/2018

1. साहबराम पुत्र श्री हंसराज बिश्नोई निवासी 7 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — **प्रार्थीगण**

—:: बनाम ::—

1. हसंराज पुत्र रामलाल
2. विनोद पुत्र हंसराज
3. सुरेन्द्र पुत्र हंसराज
4. राजेन्द्र पुत्र हंसराज

जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

5. कमला पुत्री हंसराज पत्नी रामेश्वरलाल जाति बिश्नोई निवासी दुतारावाली ढ़ाणी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
6. राजकुमारी पुत्री हंसराज पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 14 मकान नम्बर 41 बी गजसिंहपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. बलवन्तराम पुत्र श्री रामलाल
8. सरोज पत्नी श्री बलवन्तराम
9. सुनील कुमार पुत्र श्री बलवन्तराम
10. महावीर पुत्र श्री बलवन्तराम

जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

11. भूपराम श्री रामलाल
12. कृष्णादेवी पत्नी श्री जयमलराम पुत्री श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 33 एम. एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

लगातार ..... 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

13. ईमानती देवी पत्नी श्री औमप्रकाश पुत्री श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी 17 के.डी. पो. आ. 7 के.एन.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
14. वेद प्रकाश पुत्र श्री रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी बाजुवाला तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
15. कलावती पत्नी श्री हंसराज पुत्री श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी गुमजाल तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)
16. सरला पत्नी श्री अशोक कुमार पुत्री श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी दुतारावाली तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)
17. राममुर्ति पत्नी श्री सुरजाराम पुत्री श्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी केयर आफ सुभाष गिफ्ट हाऊस मेन रोड़ रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बाबत रिसीवरी

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता — प्रार्थीगण
2. श्री सुरेश अरोड़ा अधिवक्ता — अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::— दिनांक :— 16/2/18

प्रार्थी नें जरिये अधिवक्ता अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :—

प्रथम प्रार्थना पत्र संख्या 873/2016 में कथन किया कि उपरोक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है जिसके स्वीकार होनें की पूरी पूरी संभवाना है। प्रार्थीया के पिता रामलाल पुत्र श्री दौलतराम के नाम से वाके चक 7 एल. एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 10 में 3.161 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 11 में 6.198 हैक्टर कुल 9.353 हैक्टर आराजी खातेदारी दर्ज कागजात माल थी रामलाल की मृत्यु दिनांक 25.04.2006 के उपरान्त विरास्तन इन्तकाल संख्या 190 दिनांक 20.04.2007 को दर्ज किया गया प्रार्थीया की माता तुलछीदेवी का पूर्व में ही देहान्त होनें के कारण मृतक रामलाल के प्रत्येक वारिसान के नाम से 1/9 हिस्सा दर्ज किया गया।

मृतक रामलाल के प्रत्येक वारिसान को 1/9 हिस्सा प्राप्त हुआ था चुकि अप्रार्थी संख्या 1 की प्रथम पत्नि शकिला का देहान्त हो गया इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 नें अप्रार्थी संख्या 2 के साथ विवाह किया प्रार्थीया नें पारिवारिक व्यवस्था बनाये रखनें के लिये अपना 1/9 हिस्सा इस आश्य एवम् आश्वासन के अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दस्तबरदारी किया कि वह अपनी प्रथम पत्नी के पुत्र अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को हस्तान्तरण कर देगा क्योकि दस्तबरदारी सीधे ही अप्रार्थी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी।

अप्रार्थी संख्या 1 नें दुर्भावना पूर्वक प्रार्थीया के पुनीत उदेश्य को समाप्त करते हुए अपना समस्त 3/9 हिस्सा अर्थात 3.121 हैक्टर आराजी को उपहार पत्र के जरिये अप्रार्थी संख्या 2 को हस्तान्तरित कर दी जिसका इन्तकाल संख्या 336 दिनांक 20.09.2016 को कर दिया प्रार्थीया के पुनीजत उदेश्य को विफल करनें के उदेश्य से करवाय गया उपहार पत्र प्रार्थीया के हक व अधिकार पर प्रभावहीन एवम प्रभाव शुन्य दस्तावेज है।

प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के हक में साबित है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है वाद के दौरान यदि विवादग्रस्त आराजी का यदि हस्तान्तरण होता है, तो वाद की बहुलता बढेगी इसलिये अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया को होगी।

लगातार ..... 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अतः चक 7 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 10 में 3.161 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 11 में 6.198 हैक्टर कुल 9.359 हैक्टर रकबा को प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से रहन बैय व मुन्तकिल करनें से बाज व ममनू रहे इस आश्य का स्थगन आदेश जारी किया जावें।

द्वितीय प्रार्थना पत्र संख्या 551/2017 में कथन किया कि उपरोक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है जिसके स्वीकार होनें की पूरी पूरी संभवाना है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 के दादा रामलाल के नाम से चक 7 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 10 में 3.161 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 11 में 6.198 हैक्टर कुल 9.353 हैक्टर आराजी खातेदारी दर्ज कागजात माल थी रामलाल की मृत्यु उपरान्त विरास्तन नामान्तरकरण मृतक रामलाल के प्रथम श्रेणी के 9 उत्तराधिकारियों के नाम इन्तकाल संख्या 190 दिनांक 20.04.2007 तस्दीक किया गया इस प्रकार प्रश्नगत कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त हुई जो पृतैक सम्पत्ति की श्रेणी की होनें के कारण प्रार्थीगण अपना हिस्सा प्राप्त करनें के उत्तराधिकारी है।

प्रार्थीगण के दादा रामलाल नें अपनें जीवनकाल में जब अप्रार्थी संख्या 1 बाल्याकाल में थे तो मृतक रामलाल नें अप्रार्थी संख्या 1, 5 व 6 के नाम चक 6 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 4 ता 4, 14 ता 18 तथा 23 ता 25 कुल 12.00 बीघा रकबा खातेदारी पतराम से जरिये पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 02.05.1968 को खरीद कर नाम लगवाई थी। चुंकि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम बाल्याकाल (Minor) की अवस्था में खरीद कर नाम लगवाई गई थी क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं था पैतृक सम्पत्ति की आय से खरीद की गई सम्पत्ति की श्रेणी में आती है इसलिय प्रार्थीगण का जन्म से हक व अधिकार है।

प्रार्थीगण की माता अप्रार्थी संख्या 1 की प्रथम शकीला की मृत्युपरान्त दूसरी शादी अप्रार्थी संख्या 3 से कर ली शादी के उपरान्म अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का व्यवहार प्रार्थीगण के प्रति सामाजिक व्यवस्था अनुसार सही नहीं था इसलिये ही अप्रार्थी संख्या 1 नें प्रार्थी संख्या 1 को बिना किसी कारण से बेदखली कि सूचना स्थानिय समाचार पत्र में दिनांक 19.10.2017 को निकलवा दी तथा प्रार्थी संख्या 2 की शादी भी नजदीकी रिश्तेदारों के सहयोग से कर दी थी।

प्रार्थीगण की सगी बुआ अप्रार्थी संख्या 4 व 11 नें अपनें हिस्सा 2/9 को इस आश्य व आश्वासन से कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दस्तबरदारी करवाई थी कि समय रहते वह 2/9 हिस्सा अपनें पुत्रों प्रार्थी संख्या 1 तथा अप्रार्थी संख्या 2 को नाम लगवा देगा। किन्तु लालचवश अप्रार्थी संख्या 1 नें इस 2/9 हिस्सा को अपनी द्वितीय पत्नी अप्रार्थी संख्या 3 के नाम जरिये दानपत्र दिनांक 06.09.2016 को करवा दी जबकि दान पत्र एवम् दानपत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 336 दिनांक 20.09.2016 प्रभावहीन व प्रभाव शुन्य दस्तावेज है जो प्रार्थीगण के हक व अधिकार पर प्रभाव शुन्य घोषित करवानें के अधिकारी है।

प्रार्थी को बेदखली के उपरान्त प्रार्थीगण नें जजदीकी रिश्तेदारों को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 से पंचायत की कि प्रार्थीगण के हिस्सा को पुनः उसके नाम करवा दे तब अप्रार्थी नें ना केवल धमकी दी कि मै कोई जमीन नहीं दूगा बल्कि अप्रार्थीगण के हिस्सा में नमक व शोरा डालकर कृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता नष्ट कर अन उपजाऊ कर दूंगा इसलिये प्रार्थीगण को अपनें हिस्सा की कृषि भूमि पर वाद के निपटारें तक प्रापक नियुक्त करनें के अधिकारी है।

लगातार ..... 5

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रथम दृषटया मामला प्रार्थी के हक में साबित है सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है अप्रार्थी संख्या 1 नें विधि विरूद्ध तरीके से अपनी पृतैक सम्पत्ति में हिस्से से ज्यादा का हस्तान्तरण अप्रार्थी संख्या 2 को कर दिया है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नाजायज रूप से काबिज काश्त होकर लाभ प्राप्त कर रहे है। जिसमें प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाके चक 7 एल.एन.पी. के खाता संख्या 41/23 के मुरब्बा नम्बर 10 की 3.164 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 11 की 6.200 हैक्टर कुल 9.364 हैक्टर में से 3/9 हिस्सा (सरोज) तथा इसी चक के खाता संख्या 4/37 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 12, 24 व 25 की कुल 3.036 हैक्टर के 1/3 हिस्सा को किसी प्रकार से रहन बैय या अन्य तरिक से मुन्तकिल नहीं करें तथा वाद के लम्बन काल तक रिसीवर नियुक्त किया जावे तो श्रीमान् जी की कृपा होगी।

तृतीय प्रार्थना पत्र संख्या 35/2018 में कथन किया कि उपरोक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है जिसके स्वीकार होनें की पूरी पूरी संभवाना है। प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 1 ता 17 एक ही वंशज रामलाल पुत्र दौलतराम के पुत्र पुत्रीया, पोत्र पोत्रवधुए है। प्रार्थी के दादा तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता रामलाल के नाम चक 7 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 10 में 3.161 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 11 में 6.198 कुल 9.353 हैक्टर आराजी खातेदारी दर्ज कागजात माल थी रामलाल की मृत्यु के उपरान्त विरास्तन नामान्तरण मृतक रामलाल के प्रथम श्रेणी के 9 उत्तराधिकारीयों के नाम इन्तकाल संख्या 190 दिनांक 20.04.2007 तस्दीक किया गया। इस प्रकार प्रश्नगत कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त हुई जो पैतृक सम्पत्ति के श्रेणी की होनें के कारण प्रार्थी अपना हिस्सा प्राप्त करनें के उत्तराधिकारी है।

प्रार्थी के दादा रामलाल नें अपनें जीवनकाल मे जब अप्रार्थी संख्या 1 बाल्यकाल में थे जो मृतक रामलाल नें अप्रार्थी संख्या 1, 7, 11 व 6 के नाम से वाके चक 7 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 18 तथा 23 ता 25 की कुल 12.00 बीघा खातेदार पतराम के जरिये पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 02.05.1968 को खरीद कर नाम लगवाई थी। चूकि उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम बाल्यकाल (Minor) की अवस्था में खरीद कर नाम लगवाई थी क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं था पैतृक सम्पत्ति की आय से खरीद की गई सम्पति पैतृक सम्पति की श्रेणी में आती है जिस पर प्रार्थी का जन्म से हक व अधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी एवम् राजकुमारी की माता शान्ति की मृत्युपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 नें अप्रार्थीया भागवन्ती से विवाह किया द्वितीय पत्नी भागवन्ती से 2 ता 5 उत्पन्न हुए द्वितीय विवाह होनें के बाद अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थी के व्यवहार सौतेला हो गया और अप्रार्थी संख्या 1 भी प्रार्थी से क्रुरतापूर्वक व्यवहार करनें लग गया।

अप्रार्थी संख्या 1 नें प्रार्थी का पैतृक सम्पति में हक व अधिकार को समाप्त करनें के उदेश्य से प्रश्नगत कृषि भूमि में से 1.040 हैक्टर कृषि भूमि को जरिये उपहार पत्र अप्रार्थी संख्या 4 को 0.520 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 0.520 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को हस्तान्तरण कर दी जिसका राजस्व रिकार्ड अंकन जिरये नामान्तरकरण हो चुका है अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किये गये उक्त हस्तान्तरण प्रारम्भतः शून्य प्रभावहीन होनें से प्रार्थी के हक व अधिकार पर लागु नहीं होनें से शुन्य घोषित करवानें के अधिकारी है।

अप्रार्थी संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त एवम् पैतृक कृषि भूमि की आय से बाल्यकाल में खरीद शुद्धा कृषि भूमि में प्रार्थी का जन्म से हक व अधिकार बनता है इसलिये प्रार्थी

लगातार ..... 6

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में (2/9 हिस्सा प्लस 4 बीघा) में से 1/6 हिस्सा का अधिकारी है। वाद के जैरकार अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 प्रार्थी के हिस्से का नाजायज फायदा उठा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाके चक 7 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 10 की 3.163 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 11 की 6.198 हैक्टर कुल 9.353 हैक्टर में से 2.078 हैक्टर व चक 7 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 3.036 हैक्टर कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा को रिसीवर नियुक्त किया जावे।

प्रार्थना पत्रो को दर्ज रजिस्टर किया अप्रार्थीगण को जरिऐ रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। उक्त तीनों प्रार्थना पत्र एक ही भूमि से सम्बंधित एक सामान पक्षकारन के मध्य विवाद होनें पर प्रार्थना पत्र 10 सी.पी.सी पर बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त तीनो प्रार्थना पत्र में एक ही पक्षकार है जिनका विवाद एक ही भूमि का होनें के कारण तथा तीनों प्रार्थना पत्रों की प्रकृति एक समान होने के कारण दिनांक 26.6.2018 को उक्त तीनों वाद पत्रों को क्लब किया गया।

प्रार्थना पत्र संख्या 551/2017 में अप्रार्थी संख्या 1 व 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत प्रस्तुत किया जबाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि पंजीकृत दस्तावेज दान पत्र को शून्य घोषित करवाने के सम्बन्ध में है, जिसे शून्य व निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर, सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस कारण जब तक प्रार्थीगण उक्त दस्तावेज दान पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने की डिक्री हासिल नही कर लेते, तब तक उक्त वाद पत्र सुनने का अधिकार श्रीमान् न्यायालय को नही हैं जब वाद पत्र ही संधारण योग्य नही है। जब वाद पत्र ही संधारण योग्य नही है इसलिए प्रार्थना पत्र प्राथमिक स्टेज पर ही खारिज करने योग्य है।

राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 तथा कब्जा भी अप्रार्थी संख्या 1 का चला आ रहा है और प्रार्थीगण ना तो अभिलिखित खातेदार है और ना ही कब्जा है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है जिसका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा ही नही है और जिसे अभी अपना अधिकार साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर सिद्ध करना है।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. में सभी सहखातेदार आवश्यक पक्षकार होते है जिन्हें प्रार्थना पत्र में बतौर पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक है, मगर प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में सभी सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया है, पक्षकार के अभाव जब वाद पत्र ही पोषणीय नही है तो यह प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्टेज पर खारिज करने योग्य है।

प्रार्थना पत्र पारिवारिक वंशावली दर्शायी गई है, वह सही नही है, अप्रार्थीगण के दादा का नाम रामलाल होना स्वीकार नही है तथा रामलाल के नाम से वर्णित भूमि थी और रामलाल की मृत्युपरांत उसके 9 उत्तराधिकारियों को उक्त कृषि भूमि प्राप्त हुई। उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में नही आती है, ना ही उक्त सम्पत्ति में प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है, तथा अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि अपनी बहिनों से प्राप्त हुई है, महिला से प्राप्त कृष्य भूमि पैतृक सम्पति की परिभाषा में नही आती।

उक्त सम्पत्ति किसी भी सूरत में पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में नही आती है, जब उक्त सम्पत्ति ही पैतृक सम्पत्ति नही है, तो प्रार्थीगण का हक व हिस्सा होने का कोई सवाल ही पैदा नही होता।

लगातार ..... 7

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी संख्या 1 की प्रथम पत्नी का देहान्त होने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 3 से पुर्नविवाह कर लिया। शेष तथ्य बावजह गलत ब्यानी स्वीकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 का व्यवहार प्रार्थीगण के साथ कभी भी बुरा नही रहा, बल्कि इसके विपरीत प्रार्थी संख्या 1 ही अप्रार्थी संख्या 1 को नाहक तंग व परेशान करता था, जिस कारण मजबूर होकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की बदेखली की सूचना स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवायी थी, जहां तक प्रार्थी संख्या 2 की शादी का सम्बन्ध में उस सम्बन्ध मे लेख है कि प्रार्थी संख्या 2 की शादी अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हैसीयत अनुसार राशि खर्च कर सम्पन्न करवायी थी।

दस्तावेज दस्तबरदारी एवं दान पत्र किसी भी सूरत में प्रभावहीन अथवा प्रभावशून्य दस्तावेज नही है, और ना ही प्रार्थीगण इन दस्तावेजात को प्रभाव शून्य घोषित करवाने की अधिकारी है और ना ही पंजीकृत दस्तावेज को अकृत व शून्य करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है। यदि किसी दस्तावेज को प्रार्थीगण अकृत व शून्य घोषित करवाना चाहते है तो उन्हें सिविल न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस प्रकार की मांग करनी चाहिए थी।

प्रार्थना पत्र को रंग देने के लिए झूठे व कपोल कल्पित अंकित किए गए है। प्रार्थीगण द्वारा कभी भी नजदीकी रिश्तेदारों को लेकर कोई पंचायत नही की है और ना ही पहले कभी कोई हिस्सा प्रार्थीगण का रहा। इसलिए प्रार्थीगण के हिस्सा को पुनः नाम लगवाने का प्रश्न पैदा नही होता। अप्रार्थी संख्या 1 इस भूमि पर काबिज काश्त है तथा मालिक है। जब प्रार्थीगण का कोई हिस्सा बनता ही नही है तो प्रार्थीगण के हिस्सा में नमक सोरा डालकर कृषि भूमि उपजाऊ क्षमता को नष्ट करने का प्रश्न ही पैदा नही होता। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है और खातेदार काश्तकार के विरूद्ध प्रार्थीगण किसी प्रकार से प्रापक नियुक्ति करवाने के अधिकारी नही है।

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, बल्कि सुविधा का संतुलन अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का सबल प्रथम दृष्टया मामल बनता है तथा अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी संख्या 1 की होगी।

अप्रार्थी के पास खाता संख्या 41/23 व खाता संख्या 4/37 में कोई कृषि भूमि नही है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 से पारिवारिक रंजिश रखते है तथा उनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की गर्ज से प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रार्थीगण से अप्रार्थी 1 को 10,000/– रुपये बतौर क्षतिपूर्ति दिलवाए जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई दौरानें बहस प्रार्थी नें अपनें प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी में मौके पर झगड़ा होनें आदि की सम्भावना होनें के कारण वहां पर किसी भी पक्षकार की जान जोखिम का खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार कर विवादित आराजी को ताफैसला रिसीवर किया जावे। प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर.बी.जे. (12) 2005 पेज 64 ता 67 व 702 ता 705 की नजीर पेश करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी को रिसीवर किया जावे। अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस अपनें जबाब प्रार्थना पत्र को दौहराते हुए कथन किया किया की भूमि संयुक्त खाते की होनें के कारण भूमि जब तक संयुक्त खाते का विभाजन नहीं हो जाता है तब तक भूमि को रिसीवर नहीं किया जा सकता है अतः बतौर क्षतिपूर्ति भारी खर्चे पर प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे। इस सम्बंध में अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आर.एल.डब्ल्यू. 2015 पेज 66 आर.एल.डब्ल्यू. 2016 पेज 77 की नजीर पेश की।

लगातार ..... 8

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तीनों पत्रावलीयों का निर्णय एक साथ कारण उक्त तीनों पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि आराजी संयुक्त खाते है तथा प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर के अवलोकन गया कि विवादित भूमि संयुक्त खाते की भूमि है, जिस पर दोनो ही पक्ष अपना ब्जा होनें का दावा कर रहे है तथा न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि पर कब्जे की स्पष्ट नहीं है पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा तो दावे में विस्तृत विचारण उपरान्त जावेगी। अतः विवादित भूमि में कब्जे की स्थिति स्पष्ट नहीं होनें के कारण अस्थाई के प्रयोजन हेतु विवादित भूमि "इनमीडियो" है ऐसी स्थिति हम पक्षकारों के हितो एवम् विवादित भूमि की सुरक्षा हेतु विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना

अतः चक 7 एल.एन.पी. के खाता संख्या 41/23 के मुरब्बा नम्बर 10 की 3.164 था मुरब्बा नम्बर 11 की 6.200 हैक्टर कुल 9.364 हैक्टर में से 3/9 हिस्सा (सरोज) /3 हिस्सा बलवन्त का तथा इसी चक के खाता संख्या 4/37 के मुरब्बा नम्बर 10 ा नम्बर 1 ता 3, 8 ता 12, 24 व 25 की कुल 3.036 हैक्टर के 1/3 हिस्सा ) को किसी प्रकारसे रहन बैय या अन्य तरिके से मुन्तकिल नहीं करें। तथा वाद के ाल तक तहसीलदार श्रीगंगानगर को उक्त विवादित आराजी में हंसराज, बलवन्त रोज के हिस्से तक रिसीवर नियुक्त किया जाता है तहसीलदार श्रीगगानगर उक्त भूमि का बैहियत कब्जा लेकर भूमि की काश्त हेतु व्यवस्था अपनें स्तर पर करनी वत करें।

उक्त आदेश की प्रति तीनों पत्रावलीयों में संलग्न कि जाकर तहसीलदार नगर को पालना हेतु लिखा जावे।

आदेश आज दिंनाक 16/7/18 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में गया।

(एसपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर